

चयन किया जाएगा जहाँ अधिकतम अमानतें जमा हैं। इस दौरान अमानत, विनियोग, ऋण वितरण और कुल वितरित ऋणों के 10 प्रतिशत हिस्से का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही पैसस कंप्यूटराइजेशन की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। निरीक्षण अधिकारियों को जांच पूरी होने के तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार और प्रबंध निदेशक को सौंपनी होगी। यदि निरीक्षण के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है, तो राज्यतन्त्र सहकारी को ससायटी अधिनियम, 2001 के तहत तुरंत ससायटी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए खण्डी और राज्य स्तर पर इसकी नियमित मासिक समीक्षा की जाएगी।

सूखे खेत, टूटा किसान और सहकारिता का कर्ज वसूली फरमान

सावन की विवाद के साथ ही रेगिस्तानी बयार ने राजस्थान के साथे पर चिंता की ऐसी लकीरें खींच दी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज भीषण अकालों की याद दिलाती हैं। मेवाड़ से लेकर मारवाड़ के रणबांकुरे इलाकों तक मानसून इस बार पूरी तरह बेवफा साबित हुआ है। पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे जिलों में सामान्य से चालीस से पचपन प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई है। खेतों में लहलहाने वाली खरीफ फसलें अंकुर फूटते ही दम तोड़ चुकी हैं, जमीन पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और कंठ तरसाने के लिए पानी तक मयस्सर नहीं है। लेकिन इस भयावह मानवीय संकट के बीच प्रदेश की व्यवस्था और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर एक बड़ा, तीखा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या राजस्थान का कृषि और सहकारिता तंत्र सिर्फ कागजी दावा और हाई-टेक जुमलों की प्रयोगशाला बनकर रह गया है। एक तरफ मारवाड़ का किसान आसमान की तर्फ टफट कटकी लगाए बैठा है और उसके सामने पशुओं के चारे व खुद के जीवन का संकट खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में केवल नगरीय निकाय चुनावों की बिसात बिछाई जा रही है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, मगर सत्ता और विपक्ष दोनों को ही जनहित के इस महासंकट से ज्यादा अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता है। इस दोघेरी मार के बीच सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने पैक्स स्तर पर अवधिपार अल्फाकालीन ऋणों की शत-प्रतिशत वसूली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का फरमान जारी कर दिया है। मारवाड़ प्रांत के जालोर जैसे जिले में सहकारी बैंक का एनपीए और ओवरड्यू का ग्राफ सौ करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। सवाल यह उठता है कि जिस किसान के खेत में एक दाना तक नहीं उपजा, उससे इस सूखे में किस नैतिकता के आधार पर वसूली का हंटर चलाया जा रहा है। मारवाड़ क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है, जहां किसानों ने महंगे दामों पर बीज खरीदकर, ट्रैक्टरों से जुताई कर और कर्ज लेकर बाजरा, मूंग, तिल, ग्वार और मूंगफली की बुवाई की थी। शुरुआत में फसलें हरी-भरी थीं, लेकिन लंबी अवधि से बारिश न होने के कारण बाजरा पीला पड़कर सूख चुका है और डीजल, बीज व मजदूरी के दाम आसमान छूने से खेती की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। किसानों ने बैंकों और साहूकारों से कर्ज लिया है और अब फसलें नष्ट होने के बाद न केवल लागत डूब गई है, बल्कि सिर पर भारी कर्ज का पहाड़ और पशुधन के लिए चारे-पानी का अकाल खड़ा हो गया है। किसान संगठन लगातार फसल खराबे के विशेष गिरदावरी सर्वे और आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वर्तमान में प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार अपनी नीति थपथपाते हुए डिजिटल उर्वरक वितरण की नीति लेकर आई है जिसके दायित्व किसानों को खाद का कट्टा केवल ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिलने का दावा किया जा रहा है और कृषि विभाग के नुमाइंदे अपनी इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी को डिजिटल पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटने में झोंक चुके हैं। लेकिन क्या किसी ने यह समीक्षा करने की जहमत उठाई कि धरातल पर ऐसी नीतियां कितनी खोखली साबित होती हैं क्योंकि इतिहास गवाह है कि ठीक ऐसी ही एक एक नीति अपेक्स बैंक द्वारा वर्ष 2019 में एफआईजी पोर्टल के माध्यम से लाई गई थी। उस समय भी कागजी दावा और तकनीकी चकाचौंध के बीच जालोर जैसे जिलों में अंधाधुंध ऋण बांटे गए और परिणाम यह निकला कि उस नीति के लागू होने से लेकर आज तक हजारों किसान कागजी जाल में फंसकर ऋण राशि चुकाने में असमर्थ हो गए और आज वे अवधिपार की श्रेणी में खड़े हैं। डिजिटल पोर्टलों और एफ की यह संस्कृति मारवाड़ के गरीब और मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत कम और एक नया फंदा ज्यादा साबित हुई है जिससे आंकड़े तो सुधर जाते हैं लेकिन बैंकों के एनपीए और किसानों के गले की फांस लगातार बढ़ती जाती है। सवाल यह है कि अकाल के मुहाने पर खड़े मारवाड़ में जब अन्नदाता का एक-एक दाना जल चुका है, तब सहकारिता विभाग किस कानूनी और मानवीय अधिकार के तहत वसूली का हंटर चला रहा है और क्या वर्ष 2019 के पोर्टल से लेकर आज के डिजिटल खाद वितरण तक कृषि और सहकारिता विभाग की नीतियां सिर्फ कागजी आंकड़ों की बाजीगरी बनकर रह गई हैं, जिनका धरातल की सच्चाइयों और सूखे से कोई लेना-देना नहीं है। क्या सरकार सूखे की इस विभीषिका को राज्य आपदा मानकर किसानों के संपूर्ण ऋण माफ करने और वसूली पर तुरंत रोक लगाने का साहस जुटाएगी, या फिर मारवाड़ का किसान इन डिजिटल पोर्टलों और प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ता रहेगा?

चुनाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता से होगा सहकारी वसूली तंत्र का पुनरुत्थान



सूरजभान सिंह आमेरा
सहकार नेता

सहकारी बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली, वित्तीय तरलता और एनपीए में सुधार के लिए स्थानीय चुनावों में प्रत्याशियों हेतु 'नो-ड्यूज' प्रमाण पत्र अनिवार्य करना आवश्यक है। इससे डिफाल्टरों पर लगाम लगेगी, चुनावी शुचिता बढ़ेगी तथा ईमानदार ग्राहकों एवं किसानों को लाभ मिलेगा।

प्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला तथा कृषक समुदाय के सर्वांगीण अग्रगुत्थान का मुख्य संवाहक सहकारिता तंत्र समप्रति गंभीर वित्तीय संकट और संस्थागत शिथिलता के दौर से गुजर रहा है। सहकारिता की अंतर्गत भावना स्व-सहायता, पारस्परिक विश्वास और सामूहिक दायित्व पर आधारित है, किंतु गिगत कुछ दशकों में अविकेकपूर्ण ऋण वितरण और तदुपरांत उसकी अकर्मण्य वसूली प्रक्रिया ने इस वृहद व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर दिया है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही सहकारी साख ढांचों में करोड़ों-अरबों रुपये की अवधिपार राशि (ओवरड्यू लोन्स) तथा गैर-निष्पादित परिस्पर्तियाँ (एनपीए) फंसी हुई हैं। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों (पेम्स/लैम्प्स) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लेकर अपेक्स बैंक (राजस्थान राज्य सहकारी बैंक) तक फैली अल्पकालीन साख व्यवस्था हो, अथवा प्राथमिक भूमि विकास बैंक (पीएलडीबी) और शीर्ष स्तर पर स्थित राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी) का दीर्घकालीन ढांचा—सभी संस्थाएँ तरलता के अभूतपूर्व संकट से जूझ रही हैं। विडंबना यह है कि सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एनपीए व अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु विधि सम्मत कुर्की एवं नीलामी प्रक्रियाओं पर सरकारी और से अधोषिप्त निरोक लगी हुई है। इस अकर्मण्यता ने बैंकों की वित्तीय तरलता को सुखा



दिवा है और ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ कृषकों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रहार किया है। इस दुष्प्रक्र के मूल में वह प्रशासनिक तथा राजनीतिक रसूख है, जिसका उपयोग करके कतिपय डिफॉल्टर व ऋण-व्यतिक्रमी तत्व संस्थागत देनदारियों को धत्ता बताते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं के सर्वोच्च शिखरों पर आसीन हो जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों से नैतिक सत्यनिष्ठा, वित्तीय शुचित्ता और अनुकरणीय आचरण की अपेक्षा की जाती है। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण एवं चिंताजनक स्थिति है कि जो व्यक्ति स्वयं किसी सार्वजनिक अथवा सहकारी वित्तीय संस्था का बकायेदार हो, वह व्यवस्था की छिद्रान्वेषी युटियों का लाभ उठाकर पंचायतीराज अथवा नागरीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह अर्ह मान लिया जाता है। विजयोपरांत यही जनसेवक अपने पद, प्रभाव और राजनीतिक संरक्षण का दुरुपयोग करके ऋण वसूली की विविधत प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रशासनिक तंत्र भी असहाय प्रतीत होने लगता है। इस व्यवस्थागत विसंगति के निवारण हेतु राज्य सरकार एवं निर्वाचन आयोग के समक्ष त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारिता संरचना (ग्राम सेवा सहकारी समितियों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक) तथा दीर्घकालीन संरचना (प्राथमिक भूमि विकास बैंक - पीएलडीबी और राज्यीय भूमि विकास बैंक - एसएलडीबी) के बकायेदार प्रत्याशियों के लिए चुनाव नामांकन के समय 'अनापत्तिका प्रमाण पत्र' (नो-ड्यूज) प्रस्तुत करना अनिवार्य करने की मांग एक दूरगामी एवं युगांतरकारी सांस्थानिक सुधारान्तर का संकेत देती है। जब शासन तंत्र द्वारा नागरिक सुविधाओं, स्थानीयों का करों अथवा अन्य शासकीय विभागों के बकाये की वसूली हेतु अनापत्तिका प्रमाण पत्र की अनिवार्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, तो फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रणतत्व सहकारिता क्षेत्र को इस साविधता परिधि से पृथक् रखना संविधान अनुचित एवं तर्कहीन है। चुनाव नियमों में इस

मूलभूत संशोधन के समावेशन से न केवल ऋणों की स्वतः, सुगम और शीघ्र वसूली का मार्ग प्रशस्त होगा। अपितु वित्तीय अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर स्वतः ही शिकंजा कस जाएगा। इससे बैंकों की गैर-निष्पादित परिस्परितियों (एनपीए) में अभूतपूर्व सुधारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा, जिससे बैंकों की वित्तीय सेहत पुनः सुदृढ़ हो संकेयी परिणामतः, वित्तीय रूप से सुदृढ़ता सहकारिता तंत्र का वास्तविक और प्रत्यक्ष लाभ उठ प्रामाणिक, निष्ठावान एवं कृषय पर ऋण चुकता करने वाले समय को प्राप्त हो सकेगा जो वास्तव में राज्य के “सहकार से समृद्धि” और “ऋण मुक्त किसान” के व्यापक संकल्पों के सच्चे संवाहक हैं। संक्षेप में, चुनाव नियमों में ना-जड़ूण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का यह क्रांतिकारी कदम केवल एक प्रशासनिक वसूली का साधन मात्र नहीं है, अपितु यह चुनावी राजनीति में वित्तीय शुचिता, नैतिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पुनर्स्थापना का अनुपम प्रयास है। सहकारिता की मूल आत्मा को अक्षुण्ण रखने और ग्रामीण वित्तीय तंत्र को धाराशाही होने से बचाने के लिए शासन-प्रशासन के राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए इस प्रस्ताव को अविलंब अमलीजामा पहनाना चाहिए, ताकि जनसेवा के पवित्र मंच का उपयोग कोई भी बकायेदार अपनी देनदारियों से पलायन करने के लिए न कर सके।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

सहकारिता विभाग ने पैक्स स्तर पर बढ़ते अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए सख्त एसओपी जारी की

पैक्स स्तर पर अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए नई एसओपी जारी, मॉनिटरिंग सेल करेगी निगरानी



नोटिस तामीली से लेकर रजिस्टर संधारण तक होगी सख्त निगरानी

नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक अवधिपार ऋणी को विधिवत वसूली पत्र भेजना अनिवार्य किया गया है जिसकी तामीली मोबाइल, डाक या व्यक्तिगत माध्यम से कराई जाएगी। पैक्स स्तर पर एक अलग वसूली रजिस्टर बनेगा जिसमें नोटिड भेजने से लेकर ऋणी से संपर्क और मिलने वाली राशि का पूरा ब्योरा दर्ज होगा। केन्द्रीय सहकारी बैंकों और उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाकर इस पूरी वसूली प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी।

अवधिपार ऋणों की होगी ग्रामवार सूची चस्पा,

पुराने बकाएदार रहेंगे प्राथमिकता में सहकारिता विभाग की नई एसओपी के तहत अब हर पैस का कार्यालय में अवधिपर ऋणों की ग्रामवार सूचियाँ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएंगी। इस सूचियों में ऋण राशि, ब्याज, स्वीकृति तिथि और डिफाल्टर होने का समय स्पष्ट रूप से दर्ज होगा। से 10 साल तक पुराने बकाएदारों को अलग श्रेणियों में बाँटकर अत्यंत समय ऋणों की वसूली करने सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समितियों का बंटका हअधन समान पर वापस आ सके।

में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत मुलाकातों और परिजनों के माध्यम से समझाइश के प्रयास भी किए जाएंगे। इस पूरी मुहिम की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला केन्द्रीय

सहकारी बैंकों, जिला उप रजिस्ट्रार कार्यालयों और एपेक्स बैंक स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग सेल गठित कर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

राजसमंद | राजस्थान के राजसमंद जिले की पंचायत समिति राजसमंद स्थित 'भाणा बहुदेशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति' ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है। 17 फरवरी 1953 को स्थापित यह संस्था पिछले सात दशकों से भी अधिक समय से अपने सेवा क्षेत्र के छह गांवों के निवासियों के लिए एक मजबूत स्तंभ बनी हुई है। समिति की इस निरंतर प्रगति ने न केवल स्थानीय स्तर पर पहचान बनाई है, बल्कि हाल ही में भाणा समिति ने पूरे राजस्थान में राजसमंद का नाम रोशन करते हुए सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्षीय पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकार सप्ताह के दौरान राज्य स्तरीय कृषक सम्मान हासिल किया है। जयपुर में आयोजित इस

277 लाख रुपये
के पार पहुंचा
समिति का संचित लाभ
3684 खातेदारों के
साथ मिनी बैंक
में 1545.94 लाख रुपये
की जमा राशि

403 किसान ले चुके हैं कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि उपकरणों का लाभ

भय्य राज्य स्तरीय कृषक सम्मान दिवस समारोह में समिति को उत्कृष्ट कृषि, सहकारिता, पाददर्शिता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल समिति के लिए, बल्कि राजसमंद जिले के हर किसान



राजसमंद की भाणा सहकारी समिति को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य स्तरीय कृषक सम्मान मिला है। अध्यक्ष किशन लाल कुमावत व व्यवस्थापक पन्नादास वैष्णव के नेतृत्व में यह समिति ग्रामीण विकास की मिसाल बनी है।

और सहकारिता से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। वर्तमान कार्य-परिदृश्य में यह समिति त्रिस्तरीय ढांचागत तंत्र के अनुरूप काम करते हुए अत्याधुनिक सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। 858 सक्रिय सदस्यों वाली इस संस्था

ने वित्तीय समावेशन की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। समिति न केवल लघु अवधि के फसल ऋण प्रदान कर रही है, बल्कि एक मिनी बैंक के रूप में भी कार्य कर रही है, जहां 3600 से अधिक खातों के माध्यम से करोड़ों का लेनदेन हो रहा है। इसके अलावा, उर्वरक और

कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक सेवा से किसानों को संबल

किसानों के जीवन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से समिति ने कस्बम हाथरगंज सेक्टर की स्थापना की है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। अब तक 403 किसान इस सेक्टर के माध्यम से ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ उठा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पी. एम. के.एस.सी.) के माध्यम से समिति ने उर्वरकों और बीजों की निर्यात आपूर्ति सुनिश्चित की है। खाद-बीज व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 45.73 लाख रुपये से अधिक है, जो दर्शाता है कि किसान समिति पर पूरा भरोसा है। कृषि कमीक और सामग्री तक किसान पहुंच ने क्षेत्र में खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

बदली ग्रामीण बैंकिंग की तस्वीर

भाषण सहकारी समिति द्वारा संचालित निजी बैंक 'साथीयां ग्रामीणों के लिए' उदरदान साबित हो रहा है। बड़े बैंकों की जलजिताओं से दूर, यह निजी बैंक ग्रामीणों को उनके ही गांव में बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट और ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में इस निजी बैंक में 3684 खाते धारक हैं, जिनकी कुल जमा राशि 1545.94 लाख रुपये तक पहुंच गई है। संस्था ने इन जमाओं को सुरक्षित और लाभकारी निवेश के माध्यम से सुरक्षित भी किया है। यह बैंकिंग दांचा ग्रामीणों की बचत को औपचारिक अर्धव्यवस्था से जोड़ने और उन्हें समकाल पर आर्थिक मदद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उन्हें साहकारों के चंगल से मुक्ति मिली है।

- पन्नादास वैष्णव व्यवस्थापक, भाणा जीएसएस

बीज वितरण, पी.डी.एस., कस्टम हायरिंग सेंटर और सी.एस.सी. जैसी सेवाओं के माध्यम से ग्रामीणों के दैनिक जीवन को आसान बनाया गया है। इस गौरवमयी उपलब्धि और पूरी सफलता के पीछे समिति के अध्यक्ष किशन लाल कुमावत, व्यवस्थापक पन्नादास वैष्णव और

पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहित पूरी टीम की वर्षों की मेहनत और समर्पण है। 22 सितंबर 2022 को निर्वाचित बोर्ड शामिल हैं, के मार्गदर्शन में संस्था निरंतर नई ऊंचाइयों छू रही है। समिति की वित्तीय स्थिति भी अत्यंत सुदृढ़ है और वर्ष 2022-23 से 2024-

25 तक लगातार मुनाफा कमाते हुए इसका संचित लाभ 277 लाख रुपये के पार पहुंच गया है। भाणा समिति आज न केवल स्थानीय किसानों का सहारा है, बल्कि राजस्थान के सहकारी आंदोलन के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में स्थापित हो चुकी है।

कारोबार बढ़ने पर अतिरिक्त नियुक्ति के लिए बनाना होगा 3 साल का वित्तीय रोडमैप

पैक्स के कारोबार के आधार पर तय होगी मॉडल एचआर नीति और कर्मचारियों की संख्या

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। पैक्स के सफल कम्प्यूटीकरण के पश्चात सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, बड़े क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियों और किसान सेवा समितियों के लिए ‘मसौदा मॉडल मानव संसाधन नीति’ प्रस्तावित की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य समितियों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। सहकारिता मंत्रालय की नई मॉडल मानव संसाधन नीति के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में कारोबार बढ़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई समिति अपने व्यावसायिक दायरे का विस्तार करती है, तो वह आवश्यकतानुसार नए पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कर सकती है।हालांकि, इसके लिए पैक्स को एक मजबूत वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत करना होगा, जिसमें तीन वर्षों के भीतर वेतन और प्रशासनिक खर्च स्वयं अपनी आय से वहन करने की क्षमता दर्शाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित मानकों से अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने से पूर्व समितियों को जिला स्तरीय पैक्स समिति से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, ताकि वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे।



पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया एवं वेतन के तीन विकल्प

पैक्स में कर्मचारियों के चयन को पूरी तरह योग्यता आधारित और निष्पक्ष बनाने के लिए नई नीति में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त सहकारी क्षेत्र की शैक्षणिक योग्यताएं या प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को विशेष वेटेज दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए यह जिम्मेदारी स्वतंत्र एजेंसियों या राज्य स्तरीय भर्ती निकायों को सौंपी जा सकेगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु राज्यों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तीन मॉडल चुनने का विकल्प दिया गया है। इनमें संरचित वेतनमान (स्ट्रक्चर्ड पे स्केल), निश्चित समेकित पारिश्रमिक (फिक्स्ड केसोलिडेटेड रेगुलेशन) और प्रदर्शन आधारित परिवर्ती वेतन (परफॉर्मेंस-लिंक्ड वेरिएबल पे) शामिल हैं।

निगरानी तंत्र और पैक्स सहायता कोष का गठन

प्राथमिक कृषि साख समितियों के सुचारु संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय पैक्स समिति को भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ऑडिट अनुपालन और बिजनेस डेवलपमेंट प्लान की सीधी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि राज्य स्तरीय समितियां प्रदेश स्तर पर समन्वय का कार्य करेंगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से कमजोर लेकिन पुनरुद्धार योग्य पैक्स को संबल प्रदान करने के लिए ‘जिला स्तरीय पैक्स सहायता कोष’ का गठन किया जाएगा। इस कोष के माध्यम से बिजनेस डेवलपमेंट प्लान के आधार पर समितियों को ब्याज-मुक्त या आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नीति में कर्मचारियों के करियर प्रगति, प्रोत्साहन, अनुशासन और सेवा समाप्ति से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कारोबार के आधार पर पैक्स का सात श्रेणियों में वर्गीकरण

प्रस्तावित मसौदा नीति: पिछले तीन वर्ष के औसत कुल ऋण एवं गैर-ऋण कारोबार के आधार पर

श्रेणी	न्यूनतम कर्मचारी मानदंड	औसत वार्षिक कारोबार	कर्मचारी पद विवरण
ए+	10 करोड़ रुपये से अधिक	7	1 सचिव, 1 प्रबंधक, 1 लेखाकार/सहायक कार्यकारी, 2 विशेषज्ञ, 2 क्लर्क/डेटा एंट्री ऑपरर
ए	5 से 10 करोड़ रुपये	6	निर्धारित मानदंडों के अनुसार
बी	3 से 5 करोड़ रुपये	5	निर्धारित मानदंडों के अनुसार
सी	1 से 3 करोड़ रुपये	4	निर्धारित मानदंडों के अनुसार
डी	50 लाख से 1 करोड़ रुपये	3	निर्धारित मानदंडों के अनुसार
ई	25 लाख से 50 लाख रुपये	2	निर्धारित मानदंडों के अनुसार
एफ	25 लाख रुपये तक	2	'साझा सचिव' की व्यवस्था संभव, लेकिन कुल स्टाफ न्यूनतम 2

नोट: 25 लाख रुपये तक के कारोबार वाली 'एफ' श्रेणी की समितियों में निर्धारित शर्तों के तहत 'साझा सचिव' की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन 'फैक्टर-चेकर' विद्युतत का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुल कर्मचारियों की संख्या 2 से कम नहीं होगी।

सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख प्रिन्ट मीडिया रिपोर्टर

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार-पत्र

— सदस्यता एवं प्रेषण कॉर्म —

सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख समाचार पत्र एवं वेब पोर्टल सहकारी जनता की हर विवर्धनीय, पारदर्शी और सही खबर के लिए जुड़े रहें

MKMMEDIA समूह के साथ

पाक्षिक समाचार पत्र के बारे में

“मारवाड़ का मित्र” हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र मारवाड़ आंदोलन का प्रमुख मीडिया माध्यम है। यह प्रिंट मीडिया के माध्यम से कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण विकास से जुड़ी जनजीनी रिपोर्ट और अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर पाठकों तक पहुँच रहा है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में यह पत्र समय-समय पर विशेष विशेष विषयों पर विशेषण (Special Issues) का प्रकाशन भी करता है, जो पाठकों को विना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रेषित किए जाते हैं।

सदस्यता विकल्प एवं शुल्क

एक वर्ष ₹. 600/- दो वर्ष ₹. 1200/- तीन वर्ष ₹. 1800/- छह वर्ष ₹. 3600/-

पंजीकरण एवं प्रेषण सुचना: डाक द्वारा प्रेषित रूप से समाचार पत्र भेजने हेतु सदस्यता सचिव को DD / मोबाइल "मारवाड़ का मित्र" के नाम से भेजें अथवा नीचे दिए गए बैंक विवरण से डिजिटल भुगतान करें।

बैंक / शाखा विवरण (कृपया इच्छा अनुसार में भेजें)

नाम / संस्था का नाम : पते :
 शाखा : पिन कोड :
 ग्राहकीय : जिला :
 बैंक शाखा : बैंक नाम :
 DD / Transaction ID : बैंक का नाम :

डिजिटल भुगतान विवरण (Direct Bank Transfer / UPI)

खाता धारक का नाम (Name) : Marwad Ka Mitra
 खाता संख्या (A/c No.) : 11134027554
 आईएफएससी कोड (IFSC Code) : RMGB0000134
 Google Pay / PhonePe : 9602473302

विशेष नोट: नीचे दिए अनुसार प्रेषित करने वाले के पास अपने पत्र, फोन, पते, भुगतान सचिव और Transaction ID और marwadkamitra@gmail.com पर अवश्य भेज कर वा वाकएल पर भेजें, तब तक अचाना भुगतान शुरू नहीं करे।

संपर्क एवं कार्यालय विवरण

वेबसाइट: marwadkamitra.in सोशल मीडिया: marwadkamitra@gmail.com फोन: 9602473302 ईमेल: marwadkamitra@gmail.com

संगठन/एचआर एवं व्यवस्थापक कार्यालय: केदार कर्म, पल्लव, कृष्णा-विद्युत, पिन-कोड (राज.): 343041

सहकारी आंदोलन और ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए इस कॉर्म को भरकर आज ही अपनी सदस्यता सुनिश्चित करें!

पैक्स संभाल रहे गाँवों में जल सेवा की नई जिम्मेदारी

ग्रामीण जल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन एवं दख-दखाव के लिए

1,480 पैक्स चयनित

118 पैक्स ने शुरू किया संचालन

जहाँ सहकार वहाँ विकास की बयाद

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

सहकारिता जगत को गौरवान्वित करने वाली नियुक्ति

श्री श्रवण सिंह जी राठौड़

(मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक, नागदड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नागदड़ा, जिला बाड़मेर)

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत होने पर आपको अनन्त बधाईयाँ !

कर्मचारियों के अधिकारों और संगठन की एकता के प्रति आपकी निष्ठा ही हमारी असली ताकत है।

..... शुभेच्छु

समस्त व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम सेवा सहकारी समितियों - जिला बाड़मेर एवं बालोतरा

#KnowYourCoop

सहकार से FPOs को नई रफ्तार, किसानों को बाजार का विस्तार

1,117 FPOs
PACS के सदस्यों के माध्यम से पंजीकृत/ऑनबोर्ड

₹320 करोड़
FPOs/CBBOs को 31 मई 2026 तक वितरित

किसानों को बेहतर बाजार संपर्क और लाभकारी मूल्य के अवसर

FPO
किसानों की ताकत सहकार से समृद्धि

सिरोही सीसीबी की 69वीं साधारण सभा: किसानों को पर्याप्त खाद-बीज और बीमा क्लेम दिलाने पर जोर, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

सिरोही। सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सिरोही की 69वीं साधारण सभा का आयोजन स्थानीय स्तर पर संपन्न हुआ। बैंक के प्रशासक एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में वर्ष 2025-26 की वित्तीय उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विस्तार से मंथन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पैक्स डबानी के अध्यक्ष सुल्तानसिंह देवड़ा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बैठक के दौरान बैंक के प्रशासक ने सभी हिस्साधारक सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी। बैंक के प्रबंध निदेशक पुनाराम चौधल ने एजेंडावार कार्यवाही का संचालन करते हुए वित्तीय लेखों का विवरण प्रस्तुत किया। सदन में उपस्थित सदस्यों ने बैंक द्वारा अर्जित की गई वित्तीय उपलब्धियों और कार्यप्रणाली पर गहरा संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने और बैंकिंग अधिनियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित सदस्यों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बैठक में केवल वित्तीय आंकड़ों पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि जिले के किसानों से जुड़े जमीनी मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। उपस्थित अध्यक्षगणों ने मांग रखी कि आगामी फसल सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय



उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित

बैंक द्वारा वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सहकर्मियों और समितियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में मोहब्बतनगर, डबानी एवं कोदरला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों और व्यवस्थापकों को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके अलावा, बैंक के व्यक्तिगत हित में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले श्री अविनाश अग्रवाल और श्री मयंक कुमार शर्मा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रशासक महोदय ने इन सभी को भविष्य में भी इसी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य अन्य समितियों और कर्मियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि सहकारी सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाया जा सके। बैठक में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने सम्मानित होने वाले सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की।

कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिले के अधिकतम पात्र किसानों के बीमा क्लेम का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उन्हें फसल खराबे के आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। नवीन गठित सहकारी समितियों के सुदृढीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रबंध तंत्र से आग्रह किया गया कि नई समितियों के लिए गोदाम निर्माण और कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन की

प्रक्रिया को गति दी जाए। बैठक के समापन पर सहकारिता विभाग जयपुर की संयुक्त रजिस्ट्रार प्रथम ज्योति गुप्ता, निरीक्षक मल्लिका त्रिवेदी, उप रजिस्ट्रार हरिराम पूनिया और बैंक के समस्त स्टाफ की उपस्थिति में सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस सभा ने एक ओर जहाँ बैंक की पारदर्शी कार्यशैली को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर भविष्य में सहकारी तंत्र को और अधिक किसान-हितैषी बनाने का संकल्प भी लिया।

बीमा क्लेम और कृषि संसाधनों की उपलब्धता पर जोर

साधारण सभा में सबसे प्रमुख मांग किसानों को समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध कराने की रही। उपस्थित अध्यक्षों ने एकमत होकर प्रशासक से आग्रह किया कि किसानों की फसलें प्रभावित न हों, इसके लिए खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण और वितरण समय रहते सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कृषि बीमा के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में कहा गया कि क्लेम प्रक्रिया को जटिल बनाने के बजाय उसे सरल बनाया जाए ताकि जिले का कोई भी किसान अपने हक से वंचित न रहे। जिला कलेक्टर ने भी इन सुझावों का समर्थन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमा क्लेम की प्रोसेस को समाप्त कर किसानों को त्वरित लाभ पहुंचाया जाए। यह पहल जिले के कृषि क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक मानी जा रही है।

ऊड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति की 67वीं वार्षिक आमसभा संपन्न: पैक्स कम्प्यूटराइजेशन से सहकारिता में आई पारदर्शिता

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

सिरोही | केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यक्षेत्र की अ श्रेणी में चयनित ऊड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति की 67वीं वार्षिक आमसभा समिति के अध्यक्ष आनंदसिंह की अध्यक्षता में उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति क्षेत्र के जागरूक कृषक सदस्यों के साथ-साथ कृषि पर्यवेक्षक पायल टांक तथा इफको के एस.एफ.ए. राहुल गौरा ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान समिति के व्यवस्थापक रमेशकुमार मेघवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट, लाभ-हानि खाता, व्यापार खाता, संतुलन चित्र और तलपट से जुड़े सभी वित्तीय विवरण सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित



सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह बेहद हर्ष का विषय रहा कि समिति ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 19.81 लाख रुपये का शानदार शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जिसके आधार पर बैठक में लाभांश वितरण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सहकारी आंदोलन के त्रिस्तरीय ढांचे

में पैक्स सबसे छोटी, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए सबसे मजबूत और बुनियादी इकाई है। अतीत में इन समितियों का दायरा सीमित था, लेकिन वर्तमान कार्य-परिदृश्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के माध्यम से इनमें क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज इन समितियों

को ई-पैक्स के रूप में नई पहचान मिल चुकी है, जिससे खाद-बीज के वितरण और ऋण संबंधी सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और तेज गति से हो रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सहकार सप्ताह के दौरान वित्तीय वर्ष में अपने उत्कृष्ट कार्यों और सराहनीय सेवाओं के लिए समिति के व्यवस्थापक रमेश कुमार को जिला स्तरीय कृषक सम्मान समारोह में सम्मानित किए जाने का विशेष उल्लेख किया गया, जिसने सभी का मान बढ़ाया। इसके बाद समिति के संचालक मंडल के सदस्यगण, हितधारक, अंशधारक, सहायक व्यवस्थापक भरत कुमार सीमित क्षेत्र के तमाम किसानों की उपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा के विसर्जन की घोषणा की गई।



जालोर में सहकारिता विभाग की मेहरबानी और विपक्ष की चुप्पी से प्रशासनिक धांधलियों व राजनीतिक संरक्षण का खुला खेल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जालोर । राजस्थान के जालोर जिले में सहकारिता विभाग इस वक्त प्रशासनिक अराजकता, पक्षपात और राजनीतिक साठगांठ का प्रमुख केंद्र बन चुका है। विभाग की कार्यप्रणाली में दोहरा रवैया इस कदर हावी है कि नियम-कायदों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है। महकमे की इस मनमानी ने न केवल सहकारिता ढांचे की पारदर्शिता और साख को गहरा धक्का पहुंचाया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि निष्पक्षता के दावे महज कागजी हैं। जिले में एक तरफ जहां कमजोर व्यवस्था पर प्रशासनिक चाबुक चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मलाईदार पदों पर बैठे चहेतों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। विभाग के इस दोहरे रवैये की सबसे स्पष्ट बानगी जिले की दो प्रमुख क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (केवीएसएस) में देखने को मिलती है। एक ओर आहौर केवीएसएस में विभाग अपनी बेजा हनक दिखाते हुए महत्राज एक साल के भीतर मुख्य व्यवस्थापक के पद पर ताबड़तोड़ फेरबदल कर चुका है। यहां एक के बाद एक पांच सहकारी



निरीक्षकों को बदला गया, जिससे प्रशासनिक स्थिरता पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इसके ठीक विपरीत, जालोर केवीएसएस में स्थिति बिल्कुल जुदा है। वहां मुख्य व्यवस्थापक के पद पर बैठे पसंदीदा अधिकारी को साठगांठ के तहत लंबे समय से कुर्सी पर टिकाए रखा गया है। विभाग उसे हटाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। एक ही जिले में दो समितियों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाना यह साफ दर्शाता है कि विभाग में प्रशासनिक जरूरतों के बजाय व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को तरजीह दी जा रही है।

कुर्सी का मोह: 4 साल से एक ही पद पर कुंडली मारे बैठा अधिकारी

प्रशासनिक धांधली का सबसे शर्मनाक और हास्यास्पद नजारा जालोर सहकारिता के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में सामने आया। यहां एक ही अधिकारी वर्ष 2022 से लगातार अपनी जड़ें जमाकर बैठा हुआ है। हाल ही में जब विभाग ने तबादला सूचियों का शिगूफा छोड़ा, तो व्यवस्था की अयोग्यता खुलकर उजागर हो गई। सिरौही सीसीबी में तैनात सहकारिता सेवा के अधिकारी पूनाराम चोयल को जालोर उप रजिस्ट्रार के पद पर लगाने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही, वहां तैनात वरिष्ठ अधिकारी शुद्धोधन उज्जवल को जालोर उप रजिस्ट्रार पद पर पदस्थ मानकर सीधा एपीओ कर दिया गया और उन्हें अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दे दिए गए। इस पूरे हास्यास्पद ड्रामे में उस रसूखदार अधिकारी का कहीं कोई जिज्ञास तक नहीं हुआ, जो पिछले चार साल से मलाईदार कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठा है।

बड़े चेहरों का बेनकाब होने का डर

इस पूरी सेटिंग के पीछे राजनीतिक सिफारिशों और ऊपर तक पहुंच रखने वाले रसूखदारों का सीधा हाथ नजर आता है। एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे अधिकारी को बचाने के लिए विभाग किस हद तक गिर सकता है, इसका खुलासा तब हुआ जब इस मामले में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी गई। आरटीआई का आवेदन पहुंचते ही अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और उन्होंने चुप्पी साध ली। विभाग को डर है कि यदि दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हुई और कच्चा चिट्ठा बाहर आया, तो कई बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।

विपक्ष पूरी तरह मूकदर्शक

इस पूरे खेल में सबसे निराशाजनक पहलू जिले के विपक्षी दलों का रवैया रहा है। जनता के अधिकारों की रक्षा और सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने की बात करने वाला विपक्ष पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। विपक्ष की यह आपराधिक चुप्पी इस ओर इशारा करती है कि पदों के पीछे जनता के हितों का सौदा हो चुका है। कोई भी दल इस रसूखदार गठजोड़ पर सवाल उठाने का साहस नहीं दिखा पा रहा है। विभाग की चुप्पी और विपक्ष की सहभागिता ने जालोर में सहकारिता व्यवस्था को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है।

नगर निकाय आम चुनाव 2026

सहकारी समितियों के व्यवस्थापक निभाएंगे चुनावी दायित्व

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जयपुर । दी कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक कोटा द्वारा नगर निकाय आम चुनाव 2026 के महेंजतर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, कोटा के निर्देशों और नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के तहत यह कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहकारी विभाग के कर्मचारियों की चुनाव में यह सहभागिता कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा और चुनौतीपूर्ण इतिहास रहा है। दो दशक पहले का वह दौर जब प्रदेश में कर्मचारियों की एक बड़ी हड़ताल चल रही थी, तब शासन और न्यायपालिका के लिए चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश था कि चुनाव हर हाल में और हर परिस्थिति में संपन्न कराए जाने

चाहिए। प्रशासनिक तंत्र पर भारी दबाव और विपरीत परिस्थितियों के बीच ही सहकारिता विभाग के समिति व्यवस्थापकों ने अपनी झूटी अत्यंत मुस्तैदी से निभाई थी। ठीक उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कार्य-परिदृश्य को दोहराते हुए, वर्तमान में भी स्थानीय निकायों के निष्पक्ष और सुचारु संचालन के लिए चुनाव संबंधी दायित्व सौंपे गए हैं। कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाखाओं जैसे भीमगंजमंडी, नई धानमंडी, कैथून, कनवास, सांगोद, बपावर, रामगंजमंडी, दीगोद, सुल्तानपुर और इटावा के व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण और चुनाव कार्य में लगाया गया है। बैंक के प्रबंध निदेशक राय सिंह मोजावत द्वारा सभी ऋण पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित समिति व्यवस्थापकों को उनके प्रशिक्षण आदेश समय पर तामील करवाएं। यह वर्तमान कार्य-प्रणाली स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी तंत्र हमेशा से एक अहम और भरोसेमंद कड़ी रहा है।

2014 से प्रशासक के भरोसे चल रहा था बैंक, अब घोषित हुआ चुनाव शेड्यूल

15 साल का लंबा इंतजार खत्म: अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक में बजा चुनाव का बिगुल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

अलवर । राजस्थान में सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की कार्यशैली भी वाकई कमाल की है। जिस बैंक में आखिरी बार साल 2009-10 में चुनाव कराए गए थे और जहां साल 2014 से लगातार जिला कलेक्टर प्रशासक बनकर बागडोर संभाले बैठे थे, वहां अचानक राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की तंद्रा भंग हो गई है। लगभग 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आनन-फानन में अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक मंडल और पदाधिकारियों के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड भरतपुर के निर्देशानुसार उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खैरथल प्रकाश नारायण झा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। प्राधिकरण द्वारा घोषित



अन्य सहकारी बैंकों में भी जल्द बज सकता है चुनावी बिगुल

अलवर सीसीबी में 15 सालों के लंबे अंतराल के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी उम्मीद की किरण जाग उठी है। माना जा रहा है कि अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद राज्य के अन्य अधिकतर केंद्रीय सहकारी बैंकों में भी जल्द ही चुनाव प्रक्रिया का बिगुल बज सकता है। पिछले लंबे समय से कई सहकारी बैंकों में निर्वाचित बोर्ड न होने से प्रशासक व्यवस्था लागू थी, लेकिन इस पहल से राज्य भर के सहकारी ढांचे में एक बार फिर से पूर्ण लोकतांत्रिक स्वरूप बहाल होने की प्रबल संभावना बन गई है।

कार्यक्रम के अनुसार, 25 अगस्त को चुनाव का नोटिस जारी करने के साथ ही प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इसके बाद 31 अगस्त तक आक्षेप प्राप्त कर उनका निस्तारण किया गया और इसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। अब नामांकनों की प्रक्रिया 1 सितंबर

को पूरी की जाएगी, जबकि 2 सितंबर को नाम वापसी के बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो 8 सितंबर को मतदान और मतगणना कराकर परिणाम घोषित किए जाएंगे तथा 9 सितंबर को पदाधिकारियों का चयन संपन्न होगा।

सहकारिता के सिद्धांतों की अनदेखी बंद हो

अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव कार्यक्रम के जारी होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सहकार नेता सूरजभानसिंह आमरे ने कहा कि सहकारी आंदोलन की वास्तविक आत्मा उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निहित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम और सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के तहत सभी सहकारी संस्थाओं का संचालन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से होना अनिवार्य है। जब तक संस्थाओं में हर स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि सामने नहीं आएंगे, तब तक किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा और सरकारी योजनाओं का पारदर्शी व प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर संभव नहीं हो पाएगा। वर्षों तक प्रशासकों के भरोसे बैंक को चलाया सहकारिता के मूल उद्देश्यों के विपरीत है।

विधानसभा में खुलासा: जोधपुर संभाग की जीएसएस में 2018 तक हुई थी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और अब नए नियमों के तहत होगी सीधी भर्ती

■ सहकारिता विभाग का स्पष्टीकरण: जोधपुर संभाग में पूरी पारदर्शिता से हुआ था नियमितीकरण, फिलहाल स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर लगी है रोक

■ भोपालगढ़ विधायक के सवाल पर सहकारिता विभाग का जवाब: नियमों की पालना के साथ हुए था नियमितीकरण, किसी जांच की जरूरत नहीं

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जोधपुर, संभाग की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्क्रीनिंग चयन प्रक्रिया को लेकर राजस्थान विधानसभा में सहकारिता विभाग से जुड़े एक अतारंकित प्रश्न के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है। विधायक श्रीमती गीता बरवड़ द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में विभाग ने बताया कि जोधपुर संभाग में कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन समिति द्वारा पूरी पारदर्शिता बरती गई थी, लेकिन वर्तमान में यह स्क्रीनिंग प्रक्रिया बंद यानी इस पर रोक लगी हुई है। विधानसभा में दिए गए जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया कि जोधपुर संभाग के तत्कालीन जिलों (जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरौही) की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2018 तक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए कर्मचारियों का



नियमितीकरण किया गया था। विभाग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई थी और अधिकारियों के स्तर पर नियमों में कोई शिथिलता नहीं दी गई है। विधायक द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि क्या जोधपुर जिले में सदस्यता अभियान के दौरान राजस्थान सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 12 और 13 की पालना नहीं की गई और क्या इनकी अवहेलना कर समितियों का गठन किया गया? इस पर विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि जिले में अभियान के दौरान अधिनियम की सुसंगत धाराओं की पूर्ण पालना हुई है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

जिलेवार स्क्रीनिंग और नियमितीकरण का ब्यौरा

सदन की मेज पर रखे गए लिखित जवाब विवरण के अनुसार, वर्ष 2018 तक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न जिलों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जीएसएस) में इस प्रकार कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था:

■ **जैसलमेर जिला:** वर्ष 2018 में 16 व्यवस्थापक और 36 सह-व्यवस्थापकों को नियमित किया गया, जबकि इससे पूर्व के सभी व्यवस्थापक केंद्र ऑथोरेटी के माध्यम से लगे थे जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

■ **पाली जिला:** वर्ष 2010 में 75 तथा वर्ष 2013 में 118 कर्मचारियों का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण किया गया।

■ **बाड़मेर जिला:** वर्ष 2010 में 30 व्यवस्थापक व 56 सह-व्यवस्थापक, वर्ष 2012 में 10 व्यवस्थापक व 24 सह-व्यवस्थापक, वर्ष 2014 में 23 व्यवस्थापक व 25 सह-व्यवस्थापक तथा वर्ष 2016 में 11 व्यवस्थापक व 10 सह-व्यवस्थापकों को नियमित किया गया।

■ **जालौर जिला:** वर्ष 2010 में 20 व्यवस्थापक व 16 सह-व्यवस्थापक तथा वर्ष 2018 में 29 व्यवस्थापक व 17 सह-व्यवस्थापकों का नियमितीकरण किया गया।

■ **सिरौही जिला:** वर्ष 2010 में 21 व्यवस्थापक व 8 सह-व्यवस्थापक और वर्ष 2013 में 14 व्यवस्थापक व 14 सह-व्यवस्थापकों का नियमितीकरण हुआ।

■ **जोधपुर जिला:** वर्ष 2010 में 19 और वर्ष 2011 में 22 कर्मचारियों का स्क्रीनिंग के जरिए नियमितीकरण किया गया।

वर्तमान में स्क्रीनिंग पर रोक और नई भर्ती का प्रावधान

विभाग ने जानकारी दी कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन समिति द्वारा पूरी पारदर्शिता बरती गई थी, लेकिन वर्तमान में इस स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों की अभ्यर्थना प्राप्त होने पर अब सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती किए जाने का प्रावधान है, और फिलहाल अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जाखल सहकारी समिति गठन मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश

जोधपुर। जिले के जाखल गांव में नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के कथित फर्जी गठन और प्रशासनिक खींचतान का मामला अब जोधपुर उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनते हुए सुनवाई के दौरान अगली तारीख तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की अदालत में सुनील विश्रैई द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के वकील को निर्देशानुसार जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही, अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को मुकदर की गई है। गौरतलब है कि जाखल गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन को लेकर ग्रामीणों के दो पक्षों में लंबे समय से विवाद और विरोध के स्वर गूंज रहे थे। एक पक्ष पर समिति के गठन करवाने का आरोप है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर समिति के गठन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की गर्माहट और ग्रामीणों के आंदोलन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया था। कलेक्टर प्रदीप गवाड़े ने मामले की सत्यता जांचने के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त जांच समिति का गठन किया था, जिसमें उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरमान को अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी लेखा कार्यालय भूपेंद्र मकवाना को उपाध्यक्ष और कनिष्ठ लेखाकार भू-अभिलेख कार्यालय वीरेंद्र कुमार चौधरी को सदस्य बनाया गया था। अब देखना यह होगा कि आगामी 3 सितंबर को उच्च न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई और प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस कथित फर्जीवाड़े की परतें किस प्रकार खुलती हैं और प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है।

खिरनी सहकारी सोसाइटी की 67वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित, समिति ने अर्जित किया शुद्ध लाभ

सवाई माधोपुर । खिरनी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी की 67वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार को समिति कार्यालय में आयोजित की गई। निर्धारित समय पर कोरम पूरा न होने के कारण बैठक को नियम 30(4) के तहत एक घंटे के लिए स्थगित किया गया और बाद में समिति के अध्यक्ष नंद किशोर सैनी की अध्यक्षता में पुनः संपन्न हुई। सभा के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित लेखों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट, आय-व्यय, अंकेक्षण आपत्तियों की अनुपालना, अमानत संग्रहण और व्यवसाय में विविधीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्षीय उद्घोषण में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समिति ने 37,029.78 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और वर्तमान में समिति 16.29 लाख रुपये के संचित लाभ में है। साथ ही, सांविधिक अंकेक्षण में समिति को 'ए' श्रेणी प्राप्त हुई है। इस दौरान कुल 542.25 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया तथा 99.20 प्रतिशत की शानदार वसूली दर्ज की गई। स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्रामीणों आंचल में किसानों के आर्थिक उत्थान का एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है। समिति द्वारा खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पकालीन फसली ऋण के साथ-साथ कृषि आधारित कार्यों हेतु मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समिति वित्तीय रूप से बेहद मजबूत स्थिति में है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निरंतर सशक्त कर रही है। इस बैठक में सीसीबी ऋण पर्यवेक्षक हरिकिशन स्वामी, केवीएसएस के प्रतिनिधि गोविंद शर्मा, संचालक मंडल के सदस्य मुरारीलाल मीना, कमल किशोर मीना, रामसहाय मीना, भरतलाल गुर्जर एवं लाड देवी माली सहित बड़ी संख्या में शेरधारक (हिस्साधारक) सदस्य उपस्थित रहे।